

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :- 146 / 2019-20

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

लेतारे संग्ता

- विक्रेता

सुन्दरमनी हंस

- क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित										
19.11.19	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>आवेदिका लेतारे संग्ता पति स्व० जोहन संग्ता ग्राम-मार्टिन बंगला, खूँटी, थाना खूँटी, जिला खूँटी ने सुन्दरमनी हंस पति स्व० जकरीयस हंस ग्राम-चोन्डोर, पोस्ट-लान्दूप, थाना-खूँटी, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।</p> <table border="1" data-bbox="215 705 1348 795"> <thead> <tr> <th>ग्राम</th> <th>थाना नं०</th> <th>खाता नं०</th> <th>खेसरा सं०</th> <th>रकबा(एकड़ में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>कमन्ता</td> <td>79</td> <td>39</td> <td>85</td> <td>0.20</td> </tr> </tbody> </table> <p>उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र/खतियान एवं लगान की रसीद सं० 0514842909 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 1011 दिनांक 23.10.19 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि विक्री केवाला सं०- 462 दिनांक 27.07.1963 द्वारा क्रय किया है। खतियानी रैयत का नाम बगरा मुण्डा है। पंजी II के अनुसार दयाल संग्ता वगैरह के नाम भूमि का रकवा 01.61 एकड़ है। आवेदक के पास कुल रकबा 2.90 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2019-20 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित 27092.00(सत्ताईस हजार बानब्बे)रु० प्रति डिसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 2.70 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पडुनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, खूँटी ने क्रेता-विक्रेता को भूमि क्रय-विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, खूँटी से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण लेतारे संग्ता पति स्व० जोहन संग्ता को सुन्दरमनी हंस पति स्व० जकरीयस हंस के साथ ग्राम कमन्ता के खाता सं० 39 खेसरा संख्या 85 कुल रकबा 0.20 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 27092.00(सत्ताईस हजार बानब्बे)रुपये प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p>भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी।</p> <p>भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी।</p>	ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा(एकड़ में)	कमन्ता	79	39	85	0.20	
ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा(एकड़ में)								
कमन्ता	79	39	85	0.20								